न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1218–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–2–14 पारित द्वारा तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल प्रकरण कमांक 54/अ–6/2013–14.

मनोज कुमार पिता स्व. श्री झब्बूलाल बडौनिया
निवासी शापिंग सेन्टर सारणी
तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल .....आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती चम्पा पत्नी स्व. श्री अमृतलाल बडौनिया
निवासी शास्त्री वार्ड सदर बैतूल

2– बुधिया बाई पत्नी स्व. श्री हरिनारायण
निवासी शापिंग सेन्टर सारणी
तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक, आवेदक
श्री निखलेश बड़ोलिया, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/10/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल के समक्ष संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल द्वारा अपील प्रकरण कमांक 68/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24–1–2014 से अनावेदकगण की अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि पर उनके नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत कर अपील के निराकरण तक स्थगन दिये जाने संबंधी आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । अनावेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की आड़ में प्रश्नाधीन संपत्ति पर राजस्व अभिलेखों में संशोधन कराकर स्वयं का नाम दर्ज कराने के प्रयासरत हैं। अतः संबंधित पटवारी को आदेशित किया जाये कि वह अपील के अंतिम निराकरण तक राजस्व अभिलेखों में संशोधन न करें । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 54/अ–6/2013–14 दर्ज कर दिनांक 10–2–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील के अंतिम निराकरण तक राजस्व अभिलेखों में संशोधन नहीं करने के निर्देश पटवारी को दिये गये । तदोपरान्त अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 18–2–2014 को आदेश पारित कर अनावेदकगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर नामांतरण कार्यवाही अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगित करने संबंधी आवेदन पत्र दिनांक 10–2–2014 को प्रस्तुत किया गया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई कर निराकरण किये बिना अनावेदकगण का नामांतरण करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(2) उक्त आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था । इसके अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष प्रचलित द्वितीय अपील में जारी मांग पत्र दिनांक 7–2–2014 तहसीलदार को दिनांक 10–2–2014 को प्राप्त हो चुका था, अतः तहसीलदार भलीभांति परिचित थे कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, इसके बावजूद भी अनावेदकगण का नाम दर्ज कर दिया गया, जो कि अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है ।

(3) आयुक्त द्वारा प्रकरण में दिनांक 18–2–2014 को स्थगन आदेश जारी कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे, और दिनांक 18–2–2014 को राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज था, अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का नाम दर्ज करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है ।

(4) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में दिनांक 1–2–2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आयुक्त न्यायालय से स्थगन लाने हेतु समय चाहा गया था, परन्तु उक्त आवेदन पत्र का तहसील न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निराकरण नहीं किया गया है ।

(5) आयुक्त द्वारा स्थगन आदेश जारी करने के उपरांत तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण का नामांतरण करने में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में अर्थात खसरा खतौनी में अनावेदकगण का नाम दिनांक 20–2–2014 को दर्ज किया गया है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 18–2–2014 निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आयुक्त द्वारा दिनांक 12–5–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त कर दी गई है, अतः जहां मूल अपील खारिज हो गयी हो, उस स्थिति में अंतरिम आदेश का प्रभाव स्वमेव समाप्त हो जाता है ।

(2) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश है, क्योंकि उनके द्वारा सकारण आदेश पारित किया गया है कि आयुक्त के यहां से स्थगन नहीं होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये।

(3) आवेदक द्वारा अनावेदकगण का नामांतरण होने के पश्चात दिनांक 21–2–2014 को स्थगन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 18–2–2014 में संशोधन किया जाना विधिसंगत नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में राजस्व अभिलेखों में अमल करने के आदेश दिये गये, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष लंबित थी, और मांग पत्र भी तहसीलदार को प्राप्त हो चुका था, क्योंकि आयुक्त द्वारा दिनांक 12–5–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील समाप्त की जा चुकी है । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर